राजस्व अपील संख्या : 4/2025
उनवान : सवाईसिंह बनाम सरिता कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 4/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/38

| अपीलाण्ट्स :– | बनाम | रेस्पोडेण्ट्स :– |
|---|---|---|
| सवाईसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपुत निवासी गुड़ा देवड़ा मेड़तियान तहसील देसूरी जिला पाली राज. | | 1. सरिता कंवर पत्नी सवाईसिंह<br>2. प्रियल कंवर पुत्री सवाईसिंह<br>3. हनिसिंह पुत्र सवाईसिंह तमाम जाति राजपूत निवासी गुड़ा देवडा मेड़तियान तहसील देसूरी जिला पाली राज.<br>4. तहसीलदार देसूरी जिला पाली राज. |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम गुड़ा देवडा मेड़तियान के नामान्तरकरण संख्या 250 जो तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक 01.06.2018 को स्वीकृत किया गया के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगतपालसिंह।
2. रेस्पोडेण्ट 01,02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेश कुमार भण्डारी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

## –:निर्णय:–

दिनांक: 06.10.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा गुड़ा देवडा मेड़तियान के नामान्तरकरण संख्या 250 जो तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक 01.06.2018 को स्वीकृत किया गया के विरुद्ध पेश की। अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया।** अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गुड़ा देवडा मेड़तियान पटवार हल्का बागोल तहसील देसूरी की राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न विवरण की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है।

| खसरा नम्बर | क्षेत्रफल | किस्म |
|---|---|---|
| 402 | 0.3400 हैक्टेयर | चाही दोयम जाव दोयम |
| 403 | 0.0100 हैक्टेयर | गे.मु. बेरा |
| 404 | 0.0200 हैक्टेयर | गे.मु.सारण |
| 405 | 0.0500 हैक्टेयर | गे.मु. सडा |
| 406 | 0.0700 हैक्टेयर | चाही दोयम जाव दोयम |
| 409 | 0.2400 हैक्टेयर | चाही दोयम जाव दोयम |

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 4/2025
उनवान : सवाईसिंह बनाम सरिता कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

| | | |
|---|---|---|
| 410 | 0.0800 हैक्टेयर | जाव दोयम |
| 411 | 0.0100 हैक्टेयर | गे.मु.बेरा |
| 412 | 0.0200 हैक्टेयर | गे.मु. सारण |
| 413 | 0.0300 हैक्टेयर | गे.मु.बेरा |
| कुल क्षेत्रफल 0.8700 हैक्टेयर | | |

उपरोक्त उल्लेखित विवरण की कृषि भूमि अपीलार्थी एवं अन्यो की सहखातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी को 1/49 हिस्सा के सहखातेदार के हक अधिकार निहित है। उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा सहखातेदारान की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन ने पटवार हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सरपंच के साथ मिलीभगत कर अपीलार्थी के बाला बाला अपीलार्थी को मृत बताकर उत्ताराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 250 की कार्यवाही सम्पन्न करवा कर दिनांक 01.06.2018 को स्वयं के हक में स्वीकृत करवा कर स्वयं का नाम भू–अधिकार अभिलेखो में प्रविष्ट करवाया है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन नाम क्रमशः सरिता कंवर, प्रियल कवंर, हनिसिंह ने हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सरपंच के साथ मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 250 खुलवाया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या चार तहसीलदार देसूरी से अपीलाण्ट्स के बाला बाला तथाकथित तौर से स्वीकृत करवाया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को केसीसी योजना हेतु ईन्टरनेट से मौजुदा जमाबन्दी 06 जनवरी 2025 में प्राप्त करने पर हुई एवं उसके बाद अपीलाण्ट के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 250 स्वीकृति दिनांक 01.06.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु तहसीलदार देसूरी की भू अभिलेख शाखा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 01.06.2025 को प्राप्त किये जाने के पश्चात उसी रोज जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने से नामान्तरकरण कार्यवाही की पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को हुई। ग्राम गुड़ा देवडा मेड़तियान के नामान्तरकरण संख्या 250 स्वीकृति दिनांक 01.06.2018 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी के हितो के विरुद्ध कानूनन अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील बिना देरी के निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह कि ग्राम गुड़ा देवडा मेड़तियान के नामान्तरकरण संख्या 250 स्वीकृति दिनांक 01.06.2018 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थीया के हितो के विरुद्ध कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है।
2. यह कि अपीलार्थी सवाईसिंह पुत्र धुलसिंह पुत्र रावतसिंह एवं स्व. सवाईसिंह पुत्र धुलसिंह पुत्र अचलसिंह दोनो पृथक पृथक व्यक्ति है, व सवाईसिंह पुत्र धूलसिंह पुत्र अचलसिंह का देहावसान काफी वर्ष पूर्व हो चुका है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेण्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 4/2025
उनवान : सवाईसिंह बनाम सरिता कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

संख्या एक लगाय तीन नाम क्रमशः सरिता कंवर, प्रियल कंवर, हनिसिंह, हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सरपंच को शुरु से रही है इसके बावजूद रेसपोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन नाम क्रमशः सरिता कंवर, प्रियल कंवर, हनिसिंह, के द्वारा अपीलार्थी सवाईसिंह पुत्र धूलसिंह पुत्र रावतसिंह की भूमि हड़पने हेतु अपीलार्थी सवाईसिंह पुत्र धूलसिंह पुत्र रावतसिंह जो जीवित है, को मृत बताकर अपीलार्थी के बाला बाला उत्तराधिकार का नामान्तरकरण खुलवाकर स्वीकृत भी करवाया है जिसकी सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी के हितो के विरुद्ध कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है।

3. यह कि ग्राम गुड़ा देवडा मेड़तियान के नामान्तरकरण संख्या 250 स्वीकृति दिनांक 01.06.2018 बाबत तहसीलदार ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना दिये बगैर बिना किसी जांच व आधार के पारित कर स्वीकृति किया जो विधि के सर्वथा विपरित होने से प्रारम्भतः शून्य है।
4. यह कि उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि आराजी से संबंधित जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 250 के संबंध में पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 01.06.2018 विधि के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकुल होने से प्रभावहीन एवं स्वत : अवैध है।
5. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन का उपरोक्त उल्लेखित कृषि भूमि से किसी प्रकार सम्बन्ध नही है। इसके बावजूद रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय ने हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सरपंच के साथ मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 250 खुलवाया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या चार तहसीलदार देसूरी से अपीलाण्ट के बाला बाला तथाकथित तौर से स्वीकृत करवाया है।
6. यह कि उत्तराधिकार से संबंधित नामान्तरकरण की कार्यवाही मे मुख्य रुप से उत्तराधिकारियों की जांच किया जाना महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसके अभाव में कोई भी नामान्तरकरण स्वीकृत ही नहीं किया जा सकता है।
7. यह कि पटवार हल्का द्वारा जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण खोला गया है उसमे संबंधित भू.अ. निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकन पत्रो की तुलना की गई इन्द्राज सही पाया गया का उल्लेख किया है यानि भू अभिलेख निरीक्षक ने भी अपने स्तर पर कोई जांच नही की। जिससे भी जैर अपील आलोच्य आदेश तहसीलदार ने पारित करने में भारी भूल की है।
8. यह कि अपीलार्थी जो विवादग्रस्त कृषि भूमि पर बहैसियत सहखातेदार काबिज है, को जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 250 स्वीकृति दिनांक 01.06.2018 की कार्यवाही के दौरान सूचना पत्र दिये बिना एवं सुनवायी का कोई उचित एवं पर्याप्त अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकृत किया है जो विधि के सर्वथा विपरित है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 4/2025
उनवान : सवाईसिंह बनाम सरिता कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

9. यह कि जैर अपील आलोच्य कार्यवाही आदेश नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व अथवा स्वीकृतिसे पहले अपीलार्थी को सूचना पत्र दिया जाना कानूनन आवश्यक था, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सूचित नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी की है जिससे भी अपीलार्थी की उक्त अपील काबिल स्वीकृत है।

10. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय तीन ने अपीलार्थी के विरुद्ध साजिश रचकर आपराधिक छल कपट एवं धोखाधडी कर नामान्तरकरण कार्यवाही अपीलार्थी के बाला बाला सम्पन्न करवाई है, जो कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार अपीलार्थीया की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार द्वारा ग्राम गुड़ा देवडा मेड़तियान के नामान्तरकरण संख्या 250 के स्वीकृति बाबत पारित आदेश दिनांक 01.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ बाली (पाली) ★

रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने ज़रिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी नाबालिग सन्तानों रेस्पोडेण्ट संख्या दो एवं तीन की ओर से पैरवी करने की इजाज़त चाही, जो न्यायहित में स्वीकार की जाती है। रेस्पोडेण्ट संख्या चार सम्यक् सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। मूल रिकॉर्ड पूर्व में प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पति स्व. सवाईसिंह पुत्र धूलसिंह पौत्र अचलसिंह की मृत्यु पर उनकी कृषि आराजी के स्थान पर अपीलाण्ट की कृषि आराजी में त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक रुप से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते हुए रेस्पोडेण्टगण का नाम इन्द्राज किया गया जबकि अपीलाण्ट सवाईसिंह पुत्र धूलसिंह पौत्र रावतसिंह है जो कि जीवित है। यह भी, कि ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.01.2025 को उक्त नामान्तरकरण की तहसील कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई, अतः देरी का उपशमन करते हुए अवैधानिक नामान्तरकरण संख्या 250 को अपास्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपीलाण्ट के तर्कों तथा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए कोई प्रतिकार नहीं किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा नामान्तरकरण की मूल परत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपील मीमों के सलंग्न एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 01.06.2018 की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.01.2025 को के सी सी योजना हेतु इन्टरनेट से एवं दिनांक 07.01.2025 को तहसील कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई। तदुपरान्त अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.01.2025 को न्यायालय हाजा में अपील पेश की गयी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 4/2025

**उनवान : सवाईसिंह बनाम सरिता कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

अपीलार्थी द्वारा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों का अप्रार्थी द्वारा कोई खण्डन या प्रतिकार नहीं किया गया है। अतः प्रतिकूल उपधारणा में सहायक किसी दस्तावेज या विकल्प के अभाव में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत नामान्तरकरण अपील का अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि स्व. सवाईसिंह पुत्र श्री धूलसिंह पौत्र श्री अचलसिंह की मृत्यु पर अपीलार्थी सवाईसिंह पुत्र धूलसिंह पौत्र श्री रावतसिंह की कृषि भूमि खाता संख्या 78 मौजा गुड़ा देवड़ा मेड़तियान पटवार हल्का बागोल में आलोच्य फौतेदगी नामान्तरकरण के ज़रिए रेस्पोडेण्टगण का नाम इन्द्राज किया गया, जबकि अपीलार्थी जीवित है। अपील मीमों के सलंग्न दस्तावेजों में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.01.2025 को तहसीलदार देसूरी को प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पति स्वर्गीय सवाईसिंह पौत्र श्री अचलसिंह की मृत्यु पर फौतगी नामान्तरकरण उनकी कृषि भूमि खाता संख्या 131 के खसरा संख्या 314 से 319 मौज़ा गुड़ा देवड़ा मेड़तियान के स्थान पर अपीलाण्ट सवाईसिंह पौत्र श्री रावतसिंह की कृषि भूमि खाता संख्या 78 में दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा भी अपील मीमों में अंकित सभी तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा कोई प्रतिकार प्रस्तुत नही करने से अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील में अंकित सशपथ कथन प्रमाणित पाये जाते है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर हल्का पटवारी बागोल द्वारा दर्ज जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 250 स्वीकृति दिनांक 01.06.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार देसूरी को पुनप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि स्वर्गीय सवाईसिंह पुत्र श्री धूलसिंह पुत्र श्री अचलसिंह की कृषि आराजी तथा उनके विधिक वारिसों के सम्बन्ध में सम्यक् जाँच उपरान्त नये सर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक **06.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner